

डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 49/2025

1. सुरेश कुमार पुत्र प्रेमकुमार | जाति जाट साकिन जाखड़ावाली
2. प्रवीण कुमार पुत्र पृथ्वीराज | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान



बनाम

1. तुलछी देवी पत्नी प्रेमकुमार | जाति जाट साकिन जाखड़ावाली
2. बिरमा देवी पत्नी पृथ्वीराज | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजबाला पुत्री पुत्री प्रेमराम उर्फ प्रेमकुमार पत्नी भीमराज जाति जाट साकिन न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. कमला देवी पुत्री प्रेमराम उर्फ प्रेमकुमार पत्नी साहबराम जाति जाट साकिन 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानग राजस्थान।
5. रानी देवी पुत्री प्रेमराम उर्फ प्रेमकुमार पत्नी महावीर जाति जाट साकिन 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानग राजस्थान।
6. पूजा पुत्री पृथ्वीराज पत्नी सुनील कुमार जाति जाट साकिन 25 आरडब्ल्यूपी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. प्रियंका पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :- 08/5/25

वादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री कमलेश कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा इस वाद मे अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के तहत वाद निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

क. वादी सं. 1 सुरेश कुमार को प्राप्त कृषि भूमि:-तहसील पीलीबंगा के चक 13 जेडडब्ल्यूडी के खाता सं. 21/17 के प.नं. 78/372 (19) किला नं. 1/238, 2 ता 4, 5/1/0.113, 7 ता 9, 10/.238, 11/.127, 12/.134, 13/0.134, 14/0.134 की कमांड 636 हैव. कमांड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ख. वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 2 को ब. हि .ब. प्राप्त कृषि भूमि-तहसील पीलीबंगा के चक 13 जेडडब्ल्यूडी के खाता सं. 21/17 के प.नं. 78/372 (19) किला नं. 1/015, 10/.

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

015, 11/.126, 12/.119, 13/.119, 14/.119, 17 ता 24, 25/1/.098 की 2.635 हैक्. कमांड बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ग. प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त कृषि भूमि:—तहसील पीलीबंगा के चक 13 जेडडब्ल्यूडी के खाता सं. 21/17 के प.नं. 78/372 (19) इ. 5/1/.115, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025,, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.227, 16/2/.026, 25/1/.129, 25/2/.026 की कुल 1.054 हैक्. कमांड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथऱ अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं हों की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न हों की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बरानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 28/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड न्यायाधीश (पंचवट्टर)
पदेन सहायका कलक्टर
पीलीबंगा नुमानगर

